

नियम 74 : ¹[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 74 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 74 : इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना

- (1) धारा 43 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे के अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) किसी ऐसे कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा, जिसे बेमेल दावे के रूप में संसूचित किया गया था किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात् सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप कोई जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।"